भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय न्याय विभाग लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1231 जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

कार्यशील फास्ट ट्रैक न्यायालय

1231. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

श्री संजय काका पाटील :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) योजना का ब्यौरा और विशेषताएं क्या है;
- (ख) आज की स्थिति के अनुसार, निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए गए हैं और कितने कार्य कर रहे हैं ;
- (ग) क्या फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है .
- (घ) देश में शेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और
- (ङ) इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन और कार्यकरण में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ): अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना, जिसके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) भी हैं तथा उनका कार्यकरण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की अधिकार क्षेत्र में उनके अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से आता है। 14वें वित्तीय आयोग (एफसी) ने वर्ष 2015-2020 के दौरान 4144 करोड़ रुपए की लागत पर 1800 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) स्थापित करने की सिफारिश द्वारा, इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए राजवित्तीय कोष के उपयोग के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को, आग्रह किया था। त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित करने का आधारभूत उद्देश्य जघन्य प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिला, बालक, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, पर्यवसेय व्याधि से ग्रस्त व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति के मामलों से संबंधित मामलों, का त्वरित विचारण किया जाना था। उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार देशभर में 851 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यात्मक हैं। दिसंबर, 2023 तक स्थापित तथा कार्यात्मक किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा उपाबंध पर दिया गया है। वर्ष 2015-16 से संघ सरकार ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अधिक त्वरित न्यायालय स्थापित करने के लिए आग्रह किया था। और अधिक त्वरित निपटान न्यायालयों को स्थापित करना, मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में कार्यसूची की एक मद के रूप में प्रस्तुत हुई है।

दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बलात्संग तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सों) से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित विचारण और निपटान के लिए अक्तूबर, 2019 से त्वरित निपटान विशेष न्यायालय जिसके अंतर्गत अनन्य रूप से पॉक्सो (ई-पॉक्सो) है, स्थापित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को समयसीमा की रीति में कार्यान्वित कर रही है। आरंभ में, एक वर्ष के लिए थी, जिसे मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था। संघ मंत्रिमंडल ने स्कीम को, 1.4.2023 से 31.3.2026 तक और तीन वर्षों के लिए, 1952.23 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत 1207.24 करोड़ रुपए निर्भया निधि से उपगत केन्द्रीय हिस्सा है, के कुल परिव्यय पर है, बढ़ाया है। उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार, 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 757 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, जिसके अंतर्गत 411 अनन्य रूप से पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालय हैं, कार्यात्मक हैं। इन न्यायालयों ने स्कीम के प्रारंभ से 2,14,000 मामलों से अधिक का निपटान किया है, जबिक 2,02,000 से अधिक मामले लंबित हैं।

स्कीम के दक्ष कार्यान्वयन के लिए, न्याय विभाग राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों और उनके अपने उच्च न्यायालयों के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित पुनर्विलोकन बैठकों का संचालन करता है। 2018 में दांडिक विधि के संशोधन द्वारा यथाविहित, मामलों के समयसीमा के भीतर निपटान के पालन को सुनिश्चित करने के लिए संसूचना माननीय विधि और न्याय मंत्री के स्तर से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों को भेजी गई है। प्रभावी मानीटरी को सुनिश्चित करने के लिए, उच्च न्यायालयों के माध्यम से त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की ब्यौरेबद्ध सूचना एकत्रित करने और पालन करने के ट्रैक के लिए विभाग द्वारा एक डैश बोर्ड सृजित किया गया है। त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों का पालन भी अंतरराज्यीय जोनल परिषद् की बैठकों की कार्यसूची की एक मद है।

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1231 जिसका उत्तर तारीख 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट अनुसार

दिसंबर, 2023 तक आबंटित तथा कार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रवार प्रास्थिति

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम	स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	कार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	47	22
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	36	15
4	बिहार	147	0
5	चंडीगढ़	2	0
6	छत्तीसगढ	28	23
7	दादरा और नागर हवेली और दीव और दमन	1	0
8	दिल्ली	63	27
9	गोवा	5	6
10	गुजरात	174	54
11	हरियाणा	48	6
12	हिमाचल प्रदेश	13	3
13	जम्मू - कश्मीर	21	8
14	झारखंड	50	36
15	कर्नाटक	95	0
16	केरल	41	0
17	लद्दाख	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0
19	मध्य प्रदेश	133	0
20	महाराष्ट्र	203	95
21	मणिपुर*	3	6
22	मेघालय	4	0
23	मिजोरम	7	2
24	नागालैंड	3	0
25	ओडिशा	63	0
26	पुडुचेरी	2	0
27	पंजाब	50	7
28	राजस्थान	93	0
29	सिक्किम	1	2
30	तमिलनाडु	87	72
31	तेलंगाना	37	0
32	त्रिपुरा	9	3
33	उत्तर प्रदेश	212	372
34	उत्तराखंड	28	4
35	पश्चिमी बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप	94	88
	कुल	1800	851

^{*31.11.2023} तक डाटा
